# तंगदिली व शोषण के खिलाफ सत्याग्रह

विपिन कुमार त्रिपाठी

**सद्भाव मिशन**

बी–16, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली – 110017

फोन : 9717309263, tripathivipin@yahoo.co.in

## विषय सूची

भूमिका

1. श्रम की आज़ादी 1
2. तंगदिली से आजादी 9
3. सत्याग्रह के प्रयोग 17
4. वर्तमान संघर्ष 25

मूल्य : 10 रु.

# भूमिका

नफरत एक आम इन्सानी कमजोरी है। लोग उसे कम करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब नफरत सत्ता का औजार बन जाती है तो खौफनाक हो जाती है।

आज आर एस एस, उसकी राजनैतिक विंग भाजपा तथा अन्य मातृ संगठनों के हाथ में देश की राजनैतिक सत्ता है। प्राइवेट कालेजों और विश्वविद्यालयों में से अधिकांश के मालिक अथवा मैनेजर आर एस एस से जुड़े हैं। आई आई टी दिल्ली में पढ़े मेरे बहुत से मेधावी विद्यार्थी, अमेरिका में बसे बहुत से मशहूर भारतीय वैज्ञानिक व कारोबारी आर एस एस को मजबूत कर रहे हैं। इनमें से कई को मैं जानता हूं। 1966 में मैं रज्जू भैया (प्रो. राजेन्द्र सिंह, जो बाद में सर संघ चालक बने) से मिला था। आर एस एस के प्रति मेरे सख्त विचार थे पर उनके अपनेपन का मुझे स्पर्श हुआ था।

मैं यह नहीं कह सकता कि इन लोगों से अथवा उनके वर्तमान या अतीत के नेताओं के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है पर मेरी कोशिश है कि वह खत्म हो। मेरे लिये आर एस एस का मतलब हेडगेवार, गोलवालकर, वाजपेयी, आडवानी या मोदी नहीं है बल्कि वह विशाल नेटवर्क है, जिसमें मेरे कई रिश्तेदार हैं, जो उसकी विचारधारा और रणनीति से प्रेरित है। मुस्लिमों, गांधी व राष्ट्रवादियों (जो हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं) के प्रति उनकी नफरत से मेरी आत्मा विद्रोह करती है। उनकी तादाद दसियों लाख में हैं। मैं उन्हें आज़ादी के लिये चुनौती तथा सरल देशवासियों की जिंदगी व इज्जत आबरू के लिये खतरा महसूस करता हूं। उनके पीछे खड़े हैं अरबपति– कार्पोरेट व पूंजीपति– जिनके हाथ में संसाधन, बाज़ार, मीडिया तथा सत्ता के तमाम केन्द्र हैं। वे दयावान और समाजसेवी दिखते हों पर वे (ध्रुवीकरण की विचारधारा के अलावा) मुनाफा और नियंत्रण (authority) की भावना से प्रेरित हैं।

हमारे सामने चुनौती तिहरी है – राजनीति की साम्प्रदायिकता से आजादी, उत्पादक (किसान व छोटे कारोबारी) व श्रमिक की शोषण से आजादी और संस्कृति की नफरत से आजादी। हमारे पीछे साम्राज्यवाद के खिलाफ अहिंसक संघर्ष की विरासत है। हमने सत्याग्रह (सविनय अवज्ञा) का आविष्कार और प्रयोग किया। उसका उसूल है, सत्य को पकड़ो। कानून को इंसाफ की तराजू पर तौलो। उसके पीछे की भावना को समझो। जो कानून अन्याय हो उसका आत्मा की ताकत से प्रतिकार करो। उसे मानने से 'ना' कहो। लड़ाई कानून के खिलाफ हो, किसी आदमी के खिलाफ नहीं। बैरभाव, हिंसा और बदजुबानी की उसमें कोई जगह नहीं। सत्याग्रह के बल पर निहत्थे हिंदुस्तानी अवाम ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को टक्कर दी और आजादी हासिल की।

वर्तमान चुनौती का मुकाबला हम सत्याग्रह से करें। पर एक फर्क है। अंग्रेज हमारे लिये विदेशी थे। विरोधी साफ दिखता था, यह चीज हमें एकजुट करने में मददगार थी। आज विरोधी हमारे भीतर है। बल्कि उसने अल्पसंख्यकों का एक नकली विरोधी खड़ा कर रखा है जिस बहाने बहुसंख्यक उसकी तरफ खिंचे जाते हैं। सत्याग्रह को यह अड़चन पार करनी ही है। हमारी लड़ाई किसी आदमी से नहीं है, गलत कानून, गलत सोच और पूंजी के गलत इस्तेमाल से है।

2019 में सरकार ने नागरिकता को धर्म से जोड़ने वाला कानून बनाकर लोगों के वजूद को संकट में डाल दिया है। जिन छात्र छात्राओं और अन्य लोगों ने उसका प्रतिकार किया उनको बर्बरता से दबाया गया। ऐसे में शाहीन बाग की बहनें घरों से निकलकर सड़क पर बैठ गईं, रात दिन के धरने पर, बर्फ जमाने वाली सर्दी में। सौ दिन बहनें सत्याग्रह के उसूलों पर टिकी रहीं। देश के अन्य भागों में भी ऐसे धरने चले। किसानों, मजदूरों व कालेज के छात्रों को भी आगे आना है और सत्याग्रह का दायरा बढ़ाना है। सत्याग्रह का लक्ष्य होगा– दिमाग से तंगदिली और गुरूर का ज़हर मिटे, बाजार में किसानों मजदूरों की आवाज हो, राजनीति व मीडिया कार्पोरेट की अधीनता से आजाद हों, लोकतांत्रिक संस्थायें स्वायत्तता हासिल करें, शिक्षा का फैलाव हो तथा समावेशी विकास हो।

उम्मीद है यह किताब मददगार होगी। इससे जुड़े मुद्दों पर सद्भाव मिशन ने 16 जून 2019 को दिल्ली में 'समावेशी विकास' सम्मेलन का आयोजन किया था। उसके बाद सांस्कृतिक समावेश समिति ने प्रो. मुहम्मद हाशिम कुरेशी की सदारत में 'सांस्कृतिक समावेश' तथा आर्थिक समावेश समिति ने प्रो. व्रजेन्द्र उपाध्याय की सदारत में 'राजनैतिक अर्थशास्त्र, वर्तमान संकट और अवाम' किताबें लिखी हैं व सद्भाव मिशन ने छापी हैं। हर एक का मूल्य 30 रु. है। इन्हें भी पढ़ें।

**विपिन कुमार त्रिपाठी**

**नई दिल्ली**
**1 जून 2020**

## अध्याय एक
# श्रम की आजादी

श्रम हमारी जीविका और आत्मिक (रूहानी) तरक्की का साधन है। चरखा यानि श्रम के जरिये गांधी ने आज़ादी की लड़ाई को अवाम से जोड़कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें हिला दीं। ईशा मसीह ने कहा कि सुई के सूराख में से ऊंट भले ही निकल जाये, बगैर मेहनत की रोटी (ईमान की कमाई) के कोई ईश्वर के दरबार में दाखिल नहीं हो सकता। पैगम्बर मुहम्मद (स.अ.) ने कहा, ब्याज से परहेज करो यानि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी मेहनत की कमाई को लूटो मत।

श्रम के लिये संसाधन, हुनर व काम चाहिये। देश में जमीन, जंगल, खदानें, समंदर, मशीनें, औजार, पूंजी आदि संसाधन हैं, पर उन तक पहुंच सबकी नहीं है। गांवों में 6 लोगों के परिवार पीछे औसतन 1 हेक्टेयर ज़मीन है। लेकिन ऊपर के 10 प्रतिशत लोगों के पास 50 प्रतिशत ज़मीन है तथा नीचे के 50 प्रतिशत लोग भूतिहीन मजदूर हैं। देश की 77.4 प्रतिशत पूंजी 10 प्रतिशत लोगों के पास है (ऊपर के 1 प्रतिशत के पास 51. 5 प्रतिशत)। **नीचे के 60 प्रतिशत लोगों के पास 4.8 प्रतिशत पूंजी है।**

पढ़ाई के अवसरों में भी भारी असमानता है। आधे से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई 10वीं के पहले छूट जाती है। और वे काम तलाशने व करने लगते हैं। अन्य 25 प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई 12वीं तक छूट जाती है। इन 80 प्रतिशत बच्चों को तकनीकी पढ़ाई का मौका नहीं मिलता। जो भी हुनर वे सीखते हैं काम करते करते (appranticeship के जरिये) सीखते हैं। यही मजदूर, कारीगर, दस्तकार व किसान हैं और खेती व असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारों में हैं।

### बेरोजगारी व श्रम बल भागीदारी दर

2019 में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत हो गई जो 2011–12 में 2.2 प्रतिशत थी। इससे अधिक सार्थक पैमाना है श्रम बल भागीदारी दर (labor force participation rate) जो 16–64 वर्ष के काम में लगे तथा काम तलाशने वालों की संख्या के जोड़ का श्रम बल से अनुपात बताती है (श्रम बल 16 से 64 साल के लोगों की तादाद है जो पढ़ाई के दायरे से बाहर है)। यह दर 2011–12 में 55.9 प्रतिशत थी जो 2017–18 में घट कर 49.8 प्रतिशत रह गई। अर्थात् काम करने की उम्र की आधी से ज्यादा आबादी किसी आर्थिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले रही है। महिलाओं में यह दर



23.3 प्रतिशत आ गई है। कई देशों में यह दर 80 प्रतिशत है। दुनिया का औसत 66 प्रतिशत है। हमारा लक्ष्य हर हाथ को काम देने का हो।

देश में कारोबार के तीन क्षेत्र हैं :

1. **संगठित क्षेत्र (organized sector)** :

इसमें वे कारोबार आते हैं जिनमें 25 से ज्यादा लोग काम करते हैं। बड़ी मशीनों के इस्तेमाल के कारण संगठित क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीडीपी) मे योगदान 50 प्रतिशत है जबकि रोजगार यह श्रम बल के 10 प्रतिशत से कम लोगों को देता है। बड़े उद्योगपति व बड़े कारोबारी उन क्षेत्रों में निवेश नहीं करते जिनमें ज्यादा लोगों को काम मिले, बल्कि ऐसी मशीनें लाते हैं जिनमें कम लोग लगें व मुनाफा ज्यादा हो। सरकार की भी वही नीति है। नतीजतन संगठित क्षेत्र में नये रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। सन् 2009 में इस क्षेत्र में 2.81 करोड़ लोग थे जबकि 1997 में 2.82 करोड़। इनमें से पब्लिक सेक्टर में 1.78 करोड़ (केन्द्र सरकार 27 लाख, राज्य सरकारें 72 लाख, अर्ध सरकारी 58 लाख, स्थानीय निकाय 21 लाख) तथा प्राइवेट सेक्टर (खेती के अलावा) में 1.03 करोड़ थे।

पिछले दो सालों में संगठित क्षेत्र में जो उद्योग चल रहे हैं वे मंदी का शिकार हैं, उनके माल की बिक्री में गिरावट आई है सो रोजगार घटे हैं। मंदी टालने के बहाने सितम्बर 2019 में सरकार ने कार्पोरेट टैक्स 35 प्रतिशत से घटा कर 25.17 प्रतिशत कर दिया। कहा गया कि इससे निवेश बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और आर्थिक विकास को उछाल मिलेगा। लेकिन चूंकि वर्तमान समस्या मांग की कमी है इससे कंपनियों में नये निवेश के लिये उत्साह नहीं होगा जबकि उनकी क्षमता का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है (capacity utilization is 68.9%)। कार्पोरेट टैक्स छूट एक तरह से कार्पोरेट्स को 1.45 लाख करोड़ रु. का दान है।

2. **असंगठित क्षेत्र (unorganized sector) :**

नब्बे फीसदी लोगों को गुजारे का साधन खुद का काम धंधा, दस्तकारी, कारीगरी, छोटे कारोबार, दुकानदारी, खेती, पशुपालन तथा सेवायें हैं। यहां भी ठेकेदार, मालिक जमींदार, आढ़ती,व्यापारी व दुकानदार हैं जो असरदार व बड़ी आमदनी वाले हैं। बाकी लोग उन्हीं के द्वारा तय की गई मजदूरी या भाव पर अपना श्रम व माल बेचते हैं। इन कामगारों का कोई संगठन नहीं है, न पेंशन वगैरह की सुविधायें हैं।

हर साल जो लोग श्रम बल में शरीक हो रहे हैं उनमें से 90 प्रतिशत लोगों को और कालेज पढ़े लिखों में से 70 प्रतिशत को इसी क्षेत्र में काम करना है। इसलिये जरूरी है कि इन रोजगारों में सृजनशीलता, उत्पादकता, उद्यमशीलता, औजारों व तकनीक की नवीनता को बढ़ावा दिया जाये। शिक्षा, प्रशिक्षण व शुरूआती पूंजी (initial investment) मुहैया कराई जाये।

### 3. खेती :

किसानों की तादाद श्रम बल का लगभग 50 प्रतिशत है जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में खेती की भागीदारी 14 प्रतिशत से कम आंकी जाती है। उनकी आमदनी राष्ट्रीय औसत के चौथाई से कम है। भूमिहीन मजदूरों की और कम है। किसान के शोषण का मुख्य स्रोत मण्डी है। स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिश की कि सरकार फसलों का समर्थन मूल्य लागत से ड्योढा रखे। पर अधिकांश फसलों का समर्थन मूल्य लागत के आसपास अथवा उससे 10–20 प्रतिशत अधिक ही होता है। बहुत सारी फसलों व सब्जियों का होता भी नहीं है। मण्डी का भाव फसल आते वक्त समर्थन मूल्य से 15–20 प्रतिशत कम होता है और फसल किसान के हाथ से निकल जाने के बाद बहुत बढ़ जाता है। कई चीजों (जैसे प्याज, टमाटर) के दाम में 5 से 10 गुना तक उछाल आ जाता है। इसका फायदा व्यापारी को होता है।

पिछले कई सालों में किसान मजदूरों की आय 1 प्रतिशत सालाना से कम दर से बढ़ी है जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 5 प्रतिशत से ऊपर रही है। छोटे किसानों व भूमिहीन मजदूरों को सालभर खेती में काम नहीं हैं सो शहरों या जंगलों में जाकर काम करते हैं। अधिकांश को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती।

### श्रम का मूल्य

काम के बदले अथवा जो माल हम पैदा करते हैं उसे बेचने से जो आमदनी होती है उसी से अपना जीवन स्तर चलाते हैं। शारीरिक काम की आमदनी सबसे कम होती है, दिमागी काम तथा मैनेजेरियल काम की ज्यादा। इस विनिमय प्रक्रिया (exchange process) में बाजार और व्यापार का बड़ा रोल है। जो लोग नियंत्रण की स्थिति (commanding positions) में होते हैं उन्हें मुनाफा के रूप में भारी आमदनी होती है।

मुनाफा श्रमिक की मेहनत का वह हिस्सा है जिसका उसे भुगतान नहीं होता। वह आठ घंटे काम करके जो दौलत पैदा करता है, उसमें से उसे तीन घंटे के श्रम से पैदा



हुई दौलत का ही भुगतान होता है। बाकी पांच घंटे का श्रम मुनाफा के रूप में व्यापारी, सरकार तथा उच्च वर्ग के पास चला जाता है। उसी का एक हिस्सा पूंजी बनता है।

आधुनिक विज्ञान, जिसकी शुरूआत न्यूटन के गति के नियम (सन् 1688) तथा जेम्स वाट द्वारा भाप ईंजन के आविष्कार (सन् 1776) से मान सकते हैं, ने बड़ी मशीनों की ईजाद कर श्रम की उत्पादकता को बढ़ाकर और कुदरती संसाधनों (जंगल, खनिज, खेत, ईंधन, पानी वगैरह) के दोहन में तीव्रता लाकर कारखानेदारों और व्यापारियों की मुनाफा और पूंजी में तेजी से बढ़ोत्तरी की। मुनाफा की कड़ी में सरकार एक महत्वपूर्ण एजेन्सी रही। उन्नत देशों की सरकारों ने आधुनिक हथियारों के बल पर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दौर चलाया ताकि अफ्रीकी, एशियाई व लातिन अमरीकी देशों के संसाधनों व बाजारों पर कब्जा कर मुनाफा व पूंजी को बढ़ाया जा सके।

हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत 1757 में आई। कानूनन यहां के देशी कुटीर उद्योग (खासकर कपड़ा उद्योग) चौपट किये गये और किसान मजदूरों के श्रम तथा संसाधनों के शोषण के बल पर इंग्लैण्ड में पूंजी की बढ़ोत्तरी हुई। देशी रईस तबके की भी उस मुनाफा में कुछ भागीदारी रही और उसकी पूंजी व दबाव डालने की ताकत बढ़ी। आजादी के बाद संसाधनों व श्रमिकों/ किसानों के अतिरिक्त मूल्य का दोहन देशी उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा सरकार द्वारा होने लगा। सार यह है कि शहरों की जो चमकदमक, पूंजी और कारखाने हैं वे सभी आम लोगों की अतिरिक्त मेहनत (जो उन्होंने गुजारे के लिये जरूरी मेहनत से ज्यादा की) का संचय हैं। आज वही बाजारों पर हावी हैं और किसान मजदूर को अपनी मेहनत व उपज का दाम मात्र इतना मिलता है कि वह सिर्फ जिंदा रह सके। बहुतों को तो आत्म हत्या करनी पड़ रही है।

मेहनत व उपज का वाजिब मूल्य वह है जो मजदूर/ किसान की पारिवारिक आमदनी को राष्ट्रीय औसत के आसपास ला दे। आज देश की प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय डेढ़ लाख रु. है। अर्थात् 6 लोगों के परिवार की औसत आय 75 हजार रु. मासिक है। देश के 85 प्रतिशत लोगों की आय इससे कम है।

## आगे का रास्ता

### खेती व श्रम स्वावलंबन

खेती की चार बुनियादी जरूरतें हैं (जमीन व ट्रैक्टर के अलावा) पानी, बीज, खाद व कीटनाशक। पानी के लिये नहर अथवा ट्यूबवैल चाहिये। ट्यूबवैल को डीजल

अथवा बिजली चाहिये। आज ये चारों चीजें अर्थात् इनपुट्स (श्रम के अलावा) सरकार अथवा व्यापारी के अधीन हैं। अधिक पैदावार वाले बीजों पर कंपनियों का ऐसा नियंत्रण है कि किसान अपना बीज खुद नहीं बना सकता। इस बात को प्राथमिकता से लिया जाये कि किसान अपना बीज खुद बना सकें।

रासायनिक खाद और यूरिया, जिनकी वजह से सत्तर के दशक के बाद खेती की पैदावार बढ़ी है, ज़मीन पर उसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं, किसानों का पैसा भी उनमें जाता ही है इसलिये गांव में ही खाद बन सके यह दूसरी प्राथमिकता हो। कम्पोस्ट व वर्मी कम्पोस्ट एक विकल्प है पर जरूरत पूरी करने के लिये अन्य खाद भी विकसित किये जायें।

एक से अधिक फसल व सब्जी पैदा करने के लिये सिंचाई अनिवार्य है इसलिये देश की सारी कृषि योग्य भूमि (कुल रकबा 14.22 करोड़ हेक्टेअर) को सिंचित बनाया जाये। डीजल पम्प की तुलना में बिजली की मोटर अधिक लाभप्रद है, उसके लिये सभी खेतों में बिजली पहुंचाने की जरूरत है।

आज किसान को खेत में पैदा अनाज, सब्जी व फल फौरन (जिस वक्त भाव सबसे कम होता है) बेचने पड़ते हैं, दो कारणों सेः एक, जरूरी खर्चों के लिये पैसे चाहिये तथा दो, गांव में वेअर हाउस नहीं हैं। सरकार हर गांव में वेअर हाउस (गोदाम मय एसी के) बनवाये। जो किसान उसमें अपना माल रखे उसे 70 प्रतिशत उसके मूल्य का भुगतान कम ब्याज दर फौरन कर दिया जाये। उचित भाव आने पर जब किसान वह माल बेचे तब वह उसका भुगतान कर देगा।

सब्जियों, फलों व अनाज आधारित जितने खाद्य पदार्थ (आटा, दाल, मैदा, सूजी, बेसन, दलिया, सेवईयाँ, डबल रोटी, तेल,साबुन,चिप्स, गुड़, कैचअप, अचार, पापड़, पिसे मसाले, पनीर, मक्खन, घी, छांछ, जूस, शर्बत वगैरह) हैं, वे गांव में बन सकें, वहीं उनकी पैकिंग हो तथा उनके लिये बाजार मुहैया हो (आसपास के क्षेत्र में तथा दूर की मण्डी में), इसे योजनापूर्वक लिया जाये। इससे सबको रोजगार मिलेगा और गांव स्वावलम्बी बनेंगे।

जरूरत है कि किसान की मण्डी में आवाज हो। सरकार सब फसलों का समर्थन मूल्य लागत से दोगुना करे तथा निश्चित करे कि बाजार भाव उससे कभी कम न हो। मण्डी में किसानों के सहकारी बिक्री केन्द्र हों जहां बगैर आढ़ती के वे अपना माल बेच सकें। गन्ना, सोयाबीन, कपास, सरसों जैसी फसलें जो मिलों को कच्चा माल की सप्लाई करती हैं वहां किसानों व मिलों के बीच मिडिल मैन कम से कम हों।



## मनरेगा

मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में गांवों के लिये महात्मागांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा, चालू की थी जिसमें परिवार पीछे एक आदमी या औरत को साल में 100 दिन के काम की गारंटी थी और ज्यादातर राज्यों में मजदूरी स्थानीय मजदूरी से ज्यादा थी। यह भी प्रावधान था कि लोग काम मांगे और न मिले तो राज्य सरकार अपनी ओर से उन्हें भुगतान करेगी। इससे गांवों में लोगों को काम मिला, उपयोगी निर्माण कार्य हुआ तथा स्थानीय मजदूरी का रेट सुधरा। अलबत्ता समय के साथ मनरेगा की मजदूरी का रेट उचित दर से नहीं बढ़ा, खासकर पिछले छह साल में। इससे आज लगभग सारे देश में मनरेगा का रेट स्थानीय मजदूरी से कम है। मनरेगा के भुगतान में भी महीनों की देरी होने लगी है तथा इस बात की योजना नहीं बनती कि क्या काम कराया जाये। इस कारण मनरेगा अपनी 30 प्रतिशत क्षमता से भी काम नहीं कर रहा है। कई जगह वह भ्रष्टाचार का स्रोत है जहां ट्रैक्टर से काम कराके झूठी हाजिरी भर देते हैं और पैसा बांट लेते हैं।

मनरेगा को ग्राम स्वावलंबन का आधार बनाया जाये। उसकी मजदूरी को दुगुना कर स्थानीय मजदूरी से ऊपर लाया जाये। जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों से मिलकर ऐसे कामों की योजना बनाये जिससे परिवार पीछे एक व्यक्ति को साल में सौ दिन का काम मिले तथा गांव में पूंजी निर्माण हो। आज ज्यादातर जल भंडारन व कच्ची सड़क बनाने का काम कराया जाता है। इसमें महुया व बांस सरीखे पेड़ लगवाये जायें जिनसे गांवों को आर्थिक आमदनी हो। बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है, दो साल में इस्तेमाल लायक हो जाता है असम में इससे घर बनते हैं, पुल बनते हैं, फर्नीचर बनता है। जंगलों में लकड़ी की कमी होने से बांस की कारगर विकल्प तकनीकी का प्रसार बहुत उपयोगी होगा।

## ग्राम पंचायतों को अधिकार

गांव पंचायत के जन्म मृत्यु रजिस्टर को पूरी तरह प्रमाणिक माना जाये। पंचायतें उसे समय समय पर अपडेट कर लें। जो नाम रह गये हैं, उन्हें स्थानीय लोगों से तसदीक कर शामिल कर लें। इसके चलते देश में किसी नागरिकता रजिस्टर (एन आर सी) अथवा पापुलेशन रजिस्टर (एन पी आर) की जरूरत नहीं है जो सिर्फ गांवों को अफसरों के रहम पर छोड़ने के प्रोग्राम हैं। जाति प्रमाण पत्र व अन्य सर्टीफिकेट भी ग्राम पंचायतों के मान्य किये जायें।

तहसील के ज्यादातर काम ग्राम पंचायतों को सौंप दिये जायें। जिस तरह विश्व विद्यालय परिसर में पुलिस का प्रवेश कुलपति की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता, गांव में भी ग्राम प्रधान (सरपंच) की इजाजत के बगैर न हो। इससे पुलिस का वर्गचरित्र बदलेगा। आज वह संपन्न वर्ग के आगे झुकती है और कमजोरों पर रौब चलाती है।

गांवों के आसपास के जंगल सरकार ने अपने कब्जे में ले लिये हैं। उनकी पत्ती, लकड़ी, वनज पैदावार तथा खदानों से सरकार को जो आमदनी होती है उसमें ग्राम पंचायतों का हिस्सा हो जिससे गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, बांध, नहर वगैरह की योजनायें चलें तथा खदानों जैसा कठिन काम करने वालों को 45—50 साल की उम्र से पेंशन मिले।

कई बार गांवों के किसानों की जमीन सरकार अपने कब्जे में (acquire) कर लेती है और मुआवजा बाजार भाव से बहुत कम देती है। अक्सर यह ज़मीन कार्पोरेट्स को मिट्टी मोल दाम पर मुहैया कराने के लिये ली जाती है। यह कानून बने कि जब तक गांव की 75 प्रतिशत आबादी रजामंदी न दे गांव की जमीन सरकार ले नहीं पायेगी।

### 4. शहरी रोजगार

शहरों में गांवों से मजदूर आ रहे हैं जो ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर, कारीगर, रिक्शा चालक, घरेलू काम करने वाले, खोमचे वाले, चौकीदार, माली वगैरह के रूप में काम करते हैं। वे बदहाली में झुग्गियों में रहते हैं। ज्यादातर की आमदनी सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी से कम है। कुछ लोग फैक्टरियों व बड़े कारोबारों में काम करते हैं मगर श्रम बल का बड़ा हिस्सा बेरोजगार है।

देश की अर्थव्यवस्था की दिशा यह हो कि पूंजी का निवेश, अनिवार्य सेक्टर्स के अलावा, उन क्षेत्रों में हो जिनमें रोजगार अधिक पैदा हों तथा हर श्रमिक को सृजनशीलता और आमदनी बढ़ाने तथा अपना कारोबार शुरू करने का अवसर हो।

उनकी अव्वल जरूरत है सृजनशीलता व तकनीकी की पढ़ाई। हाई स्कूल की शिक्षा का फोकस बदले, पाठ्यक्रम बदले और तकनीकी प्रशिक्षण उसका अनिवार्य अंग बने। कालेज शिक्षा में भी मौलिक परिवर्तन हो।



## अध्याय दो

# तंगदिली से आजादी

साम्प्रदायिकता तंगदिली का संगठित रूप है जिसने हमारे दिमाग को कैद कर रखा है। हमें गरीब मेहनतकशों में बादशाहों की तस्वीरें दिखती हैं और उनकी बर्बादी पर हम खुश होते हैं। यह अत्मा का पतन है। दंगों में ज्यादातर गरीब मजदूर मारे जाते हैं जिनके बाप दादा बादशाहों के जमाने में भी शोषित मजदूर ही रहे होंगे।

हिंदुस्तान में जाति के नाम पर नफरत तीन हजार साल से है। सत्ता (हुकूमत) ने उसे टिकाया। सत्ता की मदद न होती तो मेहनतकशों को चांडाल और अस्पृश्य बनाकर गांव, स्कूल, कुंआ और मंदिर से बाहर नहीं रखा गया होता (जिनको उन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाया), न जबर्दस्त आर्थिक शोषण किया गया होता। सत्ता के बगैर फासीवाद और नाजीवाद दुनिया में छह करोड़ लोगों का कत्लेआम न कर पाते। न अमेरिका में पूरी लाल भारतीय नस्ल का सफाया किया गया होता। **दरअसल साम्प्रदायिकता सत्ता और सम्पन्न वर्ग का ही औजार है।**

### 1. साम्रज्यवाद और साम्प्रदायिकता

1757 में अंग्रेजों (ईस्ट इंडिया कम्पनी) ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा कर हिंदुस्तान पर राज कायम किया। उस वक्त देश में धार्मिक घृणा न थी। पांच सौ साल के सूफी संत आंदोलन से जातीय कट्टरता भी कम हुई थी। अंग्रेजों ने सख्त जमींदारी अफसरशाही निजाम कायम किया और विलायती कारखानों की खातिर देशी कुटीर उद्योगों को नष्ट किया। नतीजतन देश में हर दसवें साल भीषण अकाल पड़ने लगे और जातिवाद कट्टर हुआ। 1898 और 1902 के दो अकालों में 1 करोड़ 90 लाख लोग मारे गये।

1857 में हिंदुओं मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजी राज को अदम्य साहस से चुनौती दी। महीनों तक दिल्ली, अवध व देश के कई हिस्सों से अंग्रेजों की सत्ता खत्म रही। पर अंग्रेजों ने कुछ राजाओं की मदद से फिर कब्जा कर लिया और अपना राज मजबूती से कायम कर लिया। उन्होंने तीव्र दमन का दौर चलाया। अकेले अवध में एक लाख लोग मारे गये।

हिंदुओं व मुसलमानों में फूटडालने की नीयत से अंग्रेजों ने मुसलमानों को अधिक सख्ती से कुचला व नौकरियों में उनके खिलाफ भेदभाव किया। कुछ दशकों बाद जब

कांग्रेस की राजनैतिक ताकत बढ़ी तब मुस्लिम रईस वर्ग को कुछ रियायतें देकर हिंदुओं से वैमनस्य पैदा किया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर हिंदू मुस्लिम भेद को राजनीति का अहम मुद्दा बनाया। दोनों कौमों ने शिद्दत से इसका विरोध किया। कुछ साल बाद विभाजन रद्द कर दिया गया।

1919–22 में जब गांधी के नेतृत्व में आजादी का जनान्दोलन देश के कोने कोने तक चला तो दोनों कोमों के अंग्रेजों के सहयोगी रईस वर्ग– जमींदार, महाजन, राजा, नवाब, अफसर आदि आज़ादी आंदोलन को कुंठित करने तथा अपनी सत्ता मजबूत करने की खातिर साम्प्रदायिक विचारधारा की ओर मुड़े। इन वर्गों के मुसलामनों ने मुस्लिम लीग को सरंक्षण दिया (मुस्लिम लीग ने 1916 में हिंदू–मुस्लिम एकता व मुल्क की आज़ादी के लिये कांग्रेस से पैक्ट किया था पर धीरे धीरे अलगाववादी होती गई) तथा संपन्न हिंदुओं ने हिंदू महासभा व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (1925 में स्थापित) को मजबूत किया। इन संगठनों ने साम्प्रदायिकता को उभारा। अंग्रेजों ने उनकी मदद की। उनके इतिहासकारों ने इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर लिखकर फिरकापरस्तों को बारूद मुहैया कराया।

दोनों कौमों के अवाम ने अलबत्ता एक सी शिद्दत से राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस के नेता व कार्यकर्त्ता जेलों में थे, हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठन मिलकर बंगाल में सरकारचला रहे थे और देश में द्वेष का जहर भर रहे थे। 1945 में जब कांग्रेस के नेता जेल से छूटे तब देश विभाजन की जमीन तैयार हो चुकी थी।

## 2. देश का बंटवारा

1946–47 की साम्प्रदायिक हिंसा दरअसल राष्ट्रवादी ताकतों (कांग्रेस, समाजवादी, साम्यवादी और अवाम) तथा साम्प्रदायिक ताकतों के बीच के राजनैतिक संघर्ष का नतीजा थी। साम्प्रदायिक ताकतें 1920 से ही जनता को दो खांचों में बांट कर देखती थीं और अपने अपने हिस्सों पर अपना कब्जा चाहती थीं। कांग्रेस अवाम को एक मानती थी, हर हिंदू मुसलमान का वतन पर बराबर हक मानती थी। हिंसा के विप्लव के बीच 1947 में जब बंटवारा हुआ तब यही तय हुआ कि बंटवारा सिर्फ सत्ता का है – चार राज्यों पर मुस्लिमत लीग की हुकूमत और बाकी पर कांग्रेस की। पहले को पाकिस्तान कहा गया और दूसरे को भारत। लोगों को पूरी आजादी थी कि जो जहां रहना चाहे वहां रहे। दंगाई जनता को बांटने पर अमादा थे। राष्ट्रवादी जनता की दंगाइयों से



हिफाजत तथा हिंदू, मुस्लिम, सिख एकता को बचाने में लगे थे। इसी कोशिश में गांधी शहीद हुये। उनकी शहादत से दोनों मुल्कों में हिंसा रूकी।

विभाजन किसी कौम की जनता के लिये सुकून की बात नहीं थी। दोनों कौमों को भारी बर्बादी झेलनी पड़ी। ब्रिटिश अफसर/ पत्रकार पेंडरल मून के मुताबिक पंजाब में 1 लाख 80 हजार लोग मारे गये – 1 लाख 20 हजार पूर्वी पंजाब में (जो ज्यादातर मुसलमान थे) और 60 हजार पश्चिमी पंजाब में (जो ज्यादातर हिंदू व सिख थे)। कुल देश में 5 लाख से 10 लाख के बीच लोग मारे गये व एक करोड़ को पलायन करना पड़ा। त्रासदी विकट थी पर किसी धर्म की जनता का उसमें रोल नहीं था।

विभाजन का एक कारक अंग्रेजों की आर्थिक नीति भी थी जिस कारण देश में भीषण अकाल पड़ने लगे थे। 1943 में बंगाल अकाल में 20 लाख लोग मारे गये। अनाज का उत्पादन मामूली कम हुआ था पर व्यापारियों ने छह महीनों में चावल की कीमतें दस गुना बढ़ा दीं, जिस कारण गोदामों में अनाज भरा रहा और लोग भूखे मर गये। चूंकि व्यापारी वर्ग में हिंदू ज्यादा थे सो रातों रात मालामाल होने वालों में हिंदू ज्यादा थे और गरीब मरने वालों में मुसलमान ज्यादा थे। दंगाइयों ने हिंदू–मुस्लिम द्वेष भड़काने में इस बात का फायदा उठाया।

## 3. आजादी के बाद

गांधी की शहादत के बाद 21 साल तक देश में सुकून रहा, संविधान लागू हुआ, लोकतांत्रिक संस्थायें खड़ी हुईं, जमींदारी प्रथा खत्म हुई, अकालों पर काबू पाया गया, जीवन अवधि बढ़ी, शिक्षा का फैलाव हुआ और औद्योगिक ढांचा खड़ा हुआ। दुनिया में इस बीच नवसाम्राज्यवाद का दौर चला और पूंजीवादी अमेरिकी खेमे तथा साम्यवादी रूसी खेमे में भारी तनाव रहा। कोरियाई युद्ध हुआ (जिसमें 50 लाख लोग मारे गये), वियतनाम युद्ध हुआ (जिसमें 30 लाख मारे गये) और तमाम देशों (ईरान से लेकर कांगो, इंडोनेशिया व चिली तक) की लोकतांत्रित सरकारों को गिराकर तानाशाह बैठाये गये। दुनिया के सभी धर्मों के कट्टरपंथी एक साथ पूंजीवादी खेमे की सेवा में आ गये। हिंदुस्तान ने खेमेबाजी से अलग रहकर निर्गुट राष्ट्र सम्मेलन खड़ा किया।

## 1969 : देश में साम्प्रदायिकता का नया दौर

1969 में साम्प्रदायिकता उद्योगपति और व्यापारी तबके का प्रमुख औजार बनकर उभरी। अहमदाबाद के मिल मालिक नई मशीनें लगाना चाहते थे जिनसे हिंदू मुस्लिम

दोनों मजदूरों की छंटनी होती। भिवण्डी (बम्बई के निकट) पावरलूम का बड़ा केन्द्र था। कारीगरों में हिंदू और मुसलिम बराबर थे मगर मालिक ज्यादातर हिंदू थे। मुस्लिम भी अपनी लूम लगाने की कोशिश कर रहे थे जो जमे हुये मालिक नहीं चाहते थे। साम्प्रदायिक संगठनों ने मालिकों की मदद के लिये अहमदाबाद व भिवण्डी में भीषण दंगे कराये जिनमें कई हजार लोग मारे गये। सारे देश में ये संगठन कार्पोरेट वर्ग से जुड़ गये।

### असम आंदोलन और एन आर सी

1979 में आसु (आल असम स्टुडेंट्स यूनियन) के नेतृत्व में उग्र छात्र आंदोलन खड़ा हुआ। शुरू में वह राज्य में बंगाली प्रभाव के विरोध में था, लेकिन जल्दी ही उसका निशाना बांग्लाभाषी मुसलमान हो गये। ये ज्यादातर लोग ग्रामीण मजदूर व छोटे किसान थे जो उन्नीसवीं सदी तथा बीसवीं सदी के शुरू से वहां रह रहे थे। बंगाल के कुटीर कपड़ा उद्योग के विनाश के कारण वे बेरोजगार हो गये थे और ब्रह्मपुत्र के दलदल वाले क्षेत्र में जूट व चावल पैदा करने लाये गये थे। पढ़े लिखे लोगों की नौकरी के लिये वे कोई खतरा नहीं थे। पर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा गया। 1983 के नेल्ली संहार मे ं2800 निर्दोष लोग मारे गये।

1985 में असम समझौता हुआ जिसके तहत असम में नागरिकता रजिस्टर (एन आर सी, जो सिर्फ असम के लिये 1951 में बना था जब 1947 में असम से पूर्वी पाकिस्तान गये मुसलमान वहां टिक न पाने के कारण वापिस लौटे) को अपडेट करना था, 24 मार्च 1971 को नागरिकता की कट ऑफ तारीख मानकर। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह काम चालू हुआ। 31 अगस्त 2019 को एन आर सी छपी। 19 लाख लोग उससे बाहर हैं, लगभग 14 लाख हिंदू व 5 लाख मुसलमान, इनमें आधी से ज्यादा औरतें हैं। राज्य की कुल आबादी 3 करोड़ 30 लाख है जिसमें 34 प्रतिशत मुस्लिम हैं। जो लोग एन आर सी से बाहर हैं उनमें से ज्यादातर हिन्दुस्तानी हैं, सिर्फ नागरिकता के कठिन सबूत पेश नहीं कर पाये अथवा अफसरों ने नामंजूर कर दिये।

### पंजाब में उग्रवाद और 1984 के दंगे

1979 में अमेरिका व रूस की होड़ अफगानिस्तान आ पहुंची। अमेरिकी खुफिया ने राष्ट्रपति तराकी को मरवाकर अमीन को बैठा दिया। कुछ रोज बाद रूस ने अमीन को मरवाकर करमाल को बैठा दिया और करमाल के बुलाने पर रूसी फौजें भेज दीं।



उनके खिलाफ अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत और ओसामा बिन लादेन के जरिये कट्टरपंथियों की फौज खड़ी की। हिंदुस्तान इस रणनीति के खिलाफ था सो निशाने पर आ गया। पंजाब में कुछ कट्टरपंथी खड़े हो गये और अमेरिका, कनाडा व इंग्लैण्ड में अलगाववादी आवाजें उठने लगीं। पंजाब में किसानों की समस्यायें भी थीं तथा नौजवानों में असंतोष था। ऐसे में उग्रवाद शुरू हुआ। तीन सालों में तमाम निर्दोष मारे गये। आम सिखों की हिंसा में कोई भागीदारी नहीं थी। 1984 में स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी गई जिसमें भिंडरवाले के साथ तमाम लोग मारे गये। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों ने गोली मार दी। एक दिन बाद दिल्ली में भीषण नरसंहार हुआ। दंगाइयों को कुछ नेताओं की शह थी। साम्प्रदायिक संगठनों के कार्यकर्त्ताओं ने भी हिंसा में भाग लिया। पुलिस मूक रही। 3000 सिख मारे गये। अन्य जगह भी हिंसा हुई।

### मंदिर आंदोलन

1989 से 1992 के बीच देश में मंदिर आंदोलन के आवरण में धार्मिक ध्रुवीकरण का सैलाब उठाया गया। उसने समाज को जड़ों तक बांटा। सर्वव्यापी भगवान राम (जिनके लिये हिंदू मुसलमान एक हैं, पूजा नमाज एक हैं) की शक्ल एक शिकारी की बनाई और धर्म को, साम्प्रदायिक राजनीति और बाजार की ताकतों का सेवक बना दिया। भागलपुर से लेकर बम्बई तक देश के कई भागों में भीषण दंगे हुये जिनमें हजारों लोग मारे गये। कचहरी और हुकूमत के फर्ज को ताक पर रखकर बाबरी मस्जिद गिराई गई। 2019 में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने माना कि इस बात के प्रमाण नहीं हैं कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी, पर यह कहने में चूक गया कि बाबरी मस्जिद में सदियों से तथा राम चबूतरा पर 90 साल से आम मेहनतकश राम की ही नमाज व पूजा करते थे और दोनों ने मिलकर 1857 की क्रांति में मिलकर कुर्बानियाँ दी थीं, इसलिये वहां ऐसा स्थान बने जहां नमाज व पूजा दोनों हो सकें।

मंदिर आंदोलन के बाद देश में साम्प्रदायिक संगठनों ने उड़ीसा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि में वनवासी कल्याण आश्रम, एकल विद्यालय तथा शबरी मेलों के जरिये आदिवासियों में दायरा फैलाया और ईसाइयों को निशाना बनाया।

## गुजरात 2002

27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन से जरा दूर साबरमती एक्सप्रेस के एस–6 डिब्बे में आग लगी। आग किसी भीड़ ने नहीं लगाई थी, अंदर से लगी थी। तीव्र मुस्लिम विरोधी जुनून उभाड़ा गया और तीन दिनों तक नरसंहार का दौर चला। पुलिस प्रशासन खामोश रहे। 2 हजार लोग मारे गये, 1 लाख बेघर हुये और रगों में घृणा का जहर गहराई तक उतर गया।

अप्रैल 2002 में जब मैं पांडरवाडा (जि. पंचमहल) गया, जहां 27 लोग मारे गये थे व 57 घर जले थे, तो लोग बताने से कतराते थे कि कोई हिंसा हुई है। सरपंच के घर जमा 15 लोगों में से एक ने कहा, 'मुसलमान बड़े कट्टर होते हैं, जब उन्हें मारा जा रहा था और कहा गया कि बोलो 'जय श्री राम' तो उन्होंने 'जय पाकिस्तान कहा'। मैंने कहा, 'ये जो हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान हैं, ये ऊपरी हैं जब सांस निकल जायेगी तो कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं रह जायेगा। मैंने भी बहुत से हिंदुओं और मुसलमानों को मरते देखा है। आखिरी वक्त में लोग माता, पिता या भगवान को याद करते हैं। अगर किसी में दोष देखो तो उसका दुख भी देखो।'

फसाद के 9 महीने बाद, जब गोधरा में रात का कर्फ्यू चल रहा था, हमने इकबाल यूनियन हाई स्कूल में शहर के दसवीं के 1000 बच्चों का दो दिन का गणित वर्कशॉप किया (उस साल गोधरा का दसवीं का रिजल्ट 28 प्रतिशत रहा था और ज्यादातर बच्चे गणित में फेल हुये थे)। आधे बच्चे हिंदू थे और आधे मुसलमान। 24 शिक्षक भी हमने तलाशे वे भी आधे हिंदू व आधे मुसलमान थे। इसने कायदों की समझ के साथ बच्चों के बीच विश्वास पैदा किया व तंगदिली कम की। हमें साम्प्रदायिकता और हिंसा के प्रतिकार का एक रचनात्मक रास्ता मिला।

## कश्मीर 1989 और 2019

कश्मीर के बारे में सोचते समय हम पंडितों और मुसलमानों को अलग खांचों में बांट कर न देखें। दोनों का दर्द एक है। 1989 में आतंक के कारण डेढ़ लाख पंडितों का घाटी से पलायन एक कहर था। तब से लेकर अब तक आतंकी और सैन्य बल हिंसा में दसियों हजार (सरकार के मुताबिक 42 हजार) लोगों का मारा जाना भी वही कहर है। सन् 1947 में जब पूरा पंजाब और जम्मू के कई इलाके हिंसा की आग में जल रहे थे, तब कश्मीर (जहां की 96 प्रतिशत आबादी मुस्लिम थी) पूरी तरह शांत था। पंडितों और मुसलमानों में एक दूसरे के लिये जरा भी मैल न था। पाकिस्तान से जब कबाइली



घुसपैठियों का हमला हुआ तो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहां के अवाम ने ही मोर्चा संभाला था। उन्हीं की पहल पर कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। विलय में स्वायत्तता की वही शर्तें थीं जिन पर सौ बरस पहले अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह को बेचा था। धारा 370 उसी की स्वीकृति थी। वक्त के साथ उसका महत्व इतना ही रह गया था कि केन्द्र का कानून वहां विधानसभा की मंजूरी के बाद ही लागू होगा।

1989 में कश्मीर में उग्रवाद के पीछे दो वजहें थीं – पिछले चुनाव मे हुई धांधली और सीमा पार से घुसपैठ। हिंसा की वारदातों और अस्थिर हालात से पंडितों और कई संपन्न मुस्लिमों ने पलायन किया। सरकार ने बड़ी तादाद में सेना की तैनाती की। 2000 से 2014 के बीच हिंसा में बड़ी कमी आई, कई पंडित वापिस भी लौटे पर सब नहीं लौट पाये, न ही हालात पूरी तरह सामान्य हुये। दरअसल सिविल इलाकों में सेना की भारी तैनाती ही समस्या बन गई। दुनिया में कहीं भी 6 माह से अधिक को सेना की तैनाती जनता और सेना के बीच शक पैदा करती है। शक के कारण ज्यादती होती है और उससे नये आतंकी पैदा होते हैं। आज कश्मीर में हमारे बच्चे ही आतंकी बन रहे हैं। 2016 के बाद सरकार ने अधिक सख्ती से पत्थरबाजी को दबाने की कोशिश की। इससे हालात और बिगड़े। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने 370 हटा दी, राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और गतिविधियों पर रोक लगा दी। इसने कश्मीर की जनता में बेचैनी पैदा की और बाकी देश में जुनून पैदा किया। यह फर्क देश की एकता को तोड़ने वाला है। सरकार का फर्ज है बंदिशें पूरी तरह खत्म करे, लोकतांत्रिक अधिकार बहाल करे और सेना को सिविल इलाकों से सिलसिलेवार हटाये।

कश्मीरी अवाम को भी आजादी और अलगाव का फर्क करने की हिम्मत करनी है। आजादी हर राज्य और तबके के लोगों को शोषण और भेदभाव से चाहिये और इसके लिये केन्द्रीय सत्ता का दायरा चंद कानूनों तक सीमित करने की जरूरत है। यह मुहिम सारे देश की जनता के संघर्ष से जुड़कर चले।

## सी ए ए, एन आर सी

सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) चालू किया है। प्रधानमंत्री ने इसे नागरिकता देने वाला कानून बताया है, किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं। लेकिन तमाम लोगों से बातचीत करने पर मैंने पाया कि इसने संपन्न और दबंग लोगों में एक जुनून पैदा किया है। वे कहते हैं कि जब पाकिस्तान बन गया तो मुसलमानों का यहां

क्या काम। यही ज़हर है जिसे मिटाने की खातिर गांधी शहीद हुये थे। हिंदुस्तान यहां पैदा हुये हर शख्स का है, पूरी तरह बराबर। विभाजन राजनैतिक सत्ता का था, जनता का नहीं, न जीविका का। मेहनतकश अवाम चाहे किसी धर्म के हों कभी बोझ नहीं होते। वे देश का नहीं खाते, देश को खिलाते हैं।

पड़ौसी देशों से प्रताड़ित गैरकानूनी माइग्रेंटस के प्रति दर्दमंदी ठीक है। सिर्फ एक धर्मविशेष को बहिष्कृत रखना गहरा जख्म है। मेहनतकशों के सरहद पार करने का प्रमुख कारण धार्मिक प्रताड़ना नहीं, बल्कि गरीबी है। यहां वे कठोर श्रम पर बसर करते हैं और देश की दौलत में इजाफा करते हैं। इसके अलावा, असम एन आर सी, एन पी आर और देशव्यापी एन आर सी (जिस पर गृहमंत्री ने संसद में जोर दिया) के संदर्भ में सी ए ए, इन रजिस्टरों से (कागजों की कमी के कारण) बाहर रह गये मूल देशवासियों में धार्मिक पक्षपात करेगा। यह नागरिकता को धर्म से जोड़ने का दरवाजा खोलता है।

इन दुष्प्रभावों से चिंतित युवक कामगार और अल्पसंख्यक इसके विरोध में बाहर आये। ज्यादातर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कई जगह उनका तीव्र दमन हआ। ऐसी सूरत में शाहीनबाग (दिल्ली) व देश के अन्य भागों में महिलाओं के रात दिन के अहिंसक धरने शुरू हुये। ये धरने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी सत्याग्रह की याद दिलाने वाले हैं।

24–25 फरवरी 2020 को हिंसक भीड़ ने नार्थ ईस्ट दिल्ली के अहिंसक प्रदर्शनकारियों व उनके समर्थकों पर हिंसक हमले किये। 52 लोग मारे गये और सैंकड़ों जख्मी हुये।

यह बेहद अफसोसजनक है कि राज्य हिंसक हमलावरों से सत्याग्रहियों की सुरक्षा करने में विफल हुआ। सरकार का कर्तव्य है कि सत्याग्रहियों को सुरक्षा प्रदान करें। वह उन पर हिंसक भीड़ों और गिरोहों को नहीं छोड़ सकती।

### 4. चुनौती का आकलन व रास्ता

साम्प्रदायिकता की चुनौती बहुआयामी है।

**एक, अल्पसंख्यकों की खराब तस्वीर बनाने के रूप में साम्प्रदायिकता समाज के सभी तबकों में फैल गई है।** जब दंगे होते हैं, जिनमें ज्याातर मुस्लिम मारे जाते हैं, जैसे नेल्ली, भागलपुर, बम्बई, गुजरात, व हाल में दिल्ली, उनके बाद भी धारणा यही फैलाई जाती है कि मुसलमान हिंसक होते हैं। ऐसी सोच रखने वालों की तादाद सही सोच वालों से कई गुना ज्यादा है। दलितों, आदिवासियों व घरेलू काम



करने वालों में भी मुस्लिमों के प्रति होने वाले गंभीर अन्याय के प्रतिकार के लिये समर्थन ढूंढ पाना मुश्किल है। जिन गांवों में लिंचिंग हुई है, वहां इस विचारधारा की जड़ें और मजबूत हुई हैं। यह संवेदनहीनता नया नॉर्म बनती जा रही है।

1916 में गांधीजी ने दाहोद की एक सभा में जब दलितों को सबसे दूर खड़ा देखा तो कहा कि जब तक हम अस्पृश्यता का पाप नहीं मिटा लेते, स्वराज्य असंभव है। उसी से मंदिरों, कुओं व स्कूलों में दलितों के प्रवेश के राजनैतिक व सांस्कृतिक प्रोग्राम राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने।

धार्मिक घृणा का वह स्तर भले ही न हो, मगर स्वस्थ संबंधों के लिये जरूरी है कि दिमाग गलत धारणाओं, नकली डर और परायेपन के भाव से आजाद हो। आज वर्ग (आर्थिक हैसियत) हमारे जीवन स्तर का मुख्य कारक है। काम की जगह पर सभी समुदायों के लोग साथ काम करते हैं। वे एक दूसरे का दुख सुख भी समझें। 1989 में भागलपुर में हिंदू मुस्लिम कारीगर साथ काम करते थे। लेकिन जग दंगे कराये गये तो दोनों की सोच एक दूसरे के उलट थी। यह अलगाव खत्म होना चाहिये। काम मुश्किल है पर सहकर्मियों में आपसी दर्दमंदी हमें पैदा करनी ही है।

**दो, साम्प्रदायिकता के सक्रिय कैडर में** चंद लोग शालीन और भारतीय संस्कृति की महानता बताने वाले हैं तथा विशाल तादाद नफरत व धौंस के जुनून से भरे लोगों की है। 2002 के गुजरात के दंगों में वे लाखों में थे जब 1 लाख लोग बेघर किये गये और 2 हजार मारे गये। मंदिर आंदोलन में वे देश व्यापी थे, कंपाने वाले नारे लगाते हुये, 'बाबर की औलादों से बदला लेंगे। 1990 में सद्भाव मिशन ने जब राजघाट से राष्ट्रपति भवन तक आत्म मंथन यात्रा निकाली तो 65 लोग थे, मगर आडवानी की रथयात्रा में दसियों लाख शरीक हुये। हमें इस कैडर को ठण्डा करने व उसका प्रतिकार करने का रास्ता निकालना है। सत्याग्रह का नुस्खा है– ऐसे जुनूनी आंदोलनों का प्रतिकार करो। सत्याग्रही अपने को आसान निशाने के रूप में प्रस्तुत करें। उन पर हुये हमले से सैंकड़ों निर्दोषों की बर्बादी रूकेगी। गांधी के बाद संगठित तरीके से वह काम हुआ नहीं। सरकार का फर्ज जरूर है कि ऐसे तत्वों को काबू करें पर सरकार नफा नुकसान देखती है। विनोबा और जयप्रकाश नारायण ने शांति सेना का गठन किया था। उसने राहत कार्यों में अच्छा काम किया। आज हमें जुनून का उभाड़ रोकने के रास्ते खोजने हैं। मैं नहीं कह सकता कि उसके लिये मेरी तैयारी है। लेकिन हमारे सामने असल चुनौती यही है।

**तीन, बुद्धिजीवियों के नेटवर्क के रूप में** साम्प्रदायिकता स्कूलों, कालेजों,

विश्व विद्यालयों (सरकारी व प्राइवेट), मीडिया, वकीलों, डाक्टरों, इंजीनियरों, लेखकों, कवियों, कलाकारों, इतिहासकारों व प्रशासकों में गहरी पैठ गई है। उनमें आपसी निकटता व ऊपर तक लिंकेज है। नौकरी में प्रवेश, तरक्की व विध्वंसक कामों में वे एक दूसरे की मदद करते हैं। गलत धारणायें गढ़ने और फैलाने के लिये उनके थिंक टैंक हैं। वाजपेयी सरकार के जमाने में उनके संगठन ने मुफ्त में आई आई टी दिल्ली का खेल मैदान लेकर देशी तकनीकी प्रदर्शनी का आयोजन किया था। उसमें तमाम सरकारी प्रयोगशालाओं को भारी पैसा देकर अपने स्टाल लगाने पड़े थे। गेट पर पहला स्टाल आर एस एस के मुख पत्र पांजन्य का था।

किस्मत से सभी स्तरों पर खुले दिमाग के चंद संवेदनशील बुद्धिजीवी भी हैं जो भारी अड़चनों के बावजूद सच की आवाज उठा रहे हैं। वे विद्यार्थियों को जाग्रत करें।

**चार, आर्थिक संपन्न वर्ग के रूप में** साम्प्रदायिकता गांव से शहर तक के कार्पोरेट वर्ग तक फैली है। दरअसल साम्प्रदायिकता का अभिकेन्द्र बाजार ही है। उनके पास संसाधन, मीडिया और तिकड़म है। उनमें थोड़ा प्रतिशत खुले दिमाग के कारोबारियों का है जो प्रगतिशील कामों में मदद करते हैं। ये लोग सभी स्तरों पर नेतृत्व क्षमता पैदा करने का प्रयास करें। किसानों को बाजार की चुनौती में आगे लायें।

**पांच, विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों (NRIs) में** साम्प्रदायिकता ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। एन आर आईज की तादाद साढ़े तीन करोड़ हैं जिनमें चालीस लाख अकेले अमेरिका में हैं। वहां से मंदिर आंदोलन के लिये बड़ी तादाद में सोने की ईंटें आई थीं। दक्षिण अफ्रीका में, जहां गांधी की रहनुमाई में हिंदुओं मुस्लिमों ने मिलकर रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह चलाया था, आर एस एस का मजबूत आधार है। इन देशों में थोड़ा प्रतिशत ऐसे लोगों का भी है जो सच पर टिके हैं और सक्रिय हैं। वे भारतीयों की नई पीढ़ी जो विदेशों में पैदा हुई है, उनपर फोकस करें। यह पीढ़ी अधिक खुले दिमाग की व संवेदनशील है।

**छह, राजनैतिक चुनौती के रूप में** भाजपा अपराजेय मालूम पड़ती हैं। उसने चुनाव जीतने, तथा हारने के बाद भी सरकार बनाने का रास्ता ढूंढ लिया है। मगर कांग्रेस, वामपंथी तथा अन्य दलों का भी जनता में आधार है। हिंदुस्तान की सूफी संत परम्परा तथा आज़ादी आंदोलन की विरासत उनके पास है। वे समावेशी विकास का एजेण्डा आगे बढ़ायें। जो लोग हाशिये पर हैं अथवा ठेले जा रहे हैं उनके राजनैतिक समावेश, सांस्कृतिक समावेश, आर्थिक समावेश तथा शैक्षिक समावेश पर फोकस करें।

**सात, राज्य की नीति के रूप में साम्प्रदायिकता खौफनाक है।** उसने



संस्थाओं की गरिमा और लोकतांत्रिकता खत्म की है, राज्योंके अधिकारों पर प्रहार किया है और संविधान की आत्मा पर हमला किया है। सरहदों की झड़पों का अंदरूनी राजनैतिक फायदे के लिये इस्तेमाल होने लगा है। राज्य को जनता के प्रति उसके फर्ज की याद दिलाना सत्याग्रह का मुख्यकाम है। गैर राजनैतिक संगठनों की भी इसमें भूमिका है और राजनैतिक दलों की भी है। इस बाबत सरकार की नीतियों और नये कानूनों को विस्तार से समझ लिया जाये और आमजन को साथ जोड़ा जाये।

अध्याय तीन

# सत्याग्रह के प्रयोग

सत्याग्रह (सविनय अवज्ञा अथवा सिविल नाफरमानी) का प्रयोग उस समय हुआ जब साम्राज्यवाद अपनी बुलंदी पर था और सापेक्षता के सिद्धांत ने वजन और ऊर्जा के एकीकरण को सिद्व करके परमाणु बम बनाने की बुनियाद रख दी थी। सत्याग्रह ने निहत्थे अवाम में उम्मीद पैदा की और गुलामी से लड़ने की ताकत दी।

शुरूआत सन् 1906 में दक्षिण अफ्रीका से हुई जहां प्रवासी भारतीयों ने गोरों के उपनिवेशी शासन के रंगभेदी कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1914 में सरकार को वे कानून रद्द करने पड़े। 9 जनवरी 1915 को गांधी द. अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटे। कुछ हफ्तों बाद वीरमगाम की जकात की लड़ाई से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सत्याग्रह की शुरूआत की। किसान, मजदूर, औरतें, छात्र, छात्रायें उसमें शरीक हुये। लाखों लोग जेल गये, दो हजार से ऊपर मारे गये। मगर अंग्रेजों को जाना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अमेरिका में 1960 के दशक में नस्लभेद के खिलाफ सत्याग्रह हुआ और नीग्रो लोगों को वोट का अधिकार मिला।

### 1. दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह

दक्षिण अफ्रीका की मूल आबादी नीग्रो (हब्शी) लोगों की थी पर अंग्रेजों और डच गोरों ने द. अफ्रीका को गुलाम (उपनिवेश) बना लिया था। वह अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा था। गोरे वहां खेतों और खानों में काम करने भारत से मजदूरों को ले गये थे जिन्हें गिरमिटिया (परमिट वाला) कहा जाता था। हिंदुस्तानियों की पहली खेप वहां 1860 में गई। बाद में वहां हिंदुस्तानी व्यापारी भी पहुंच गये। 1914 में वहां नीग्रो आबादी 50 लाख, गोरे 13 लाख (20 प्रतिशत) तथा हिंदुस्तानी 1.5 लाख (2.2 प्रतिशत) थी। गोरों के हाथ मे मुकम्मल सत्ता थी तथा कानूनन गहरा रंगभेद था। परमिट की अवधि पूरी होने पर मजदूरों को वहां स्वतंत्र रूप से रहने का हक था। गिरमिट मुक्त भारतीय मजदूर जब व्यापार में थोड़ा हिस्सा बंटाने लगे तो गोरों को जलन हुई और हिंदुस्तानियों पर बंदिशें लगाई जाने लगीं। गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानियों पर 3 पाउंड वार्षिक मुंडकर लगा दिया गया, हर 13 साल से बड़ी लड़की व 16 साल से बड़े लड़के पर। यह कर गिरमिटिया की कई माह की आमदनी के बराबर था।

22 अगस्त 1906 को ट्रांसवाल धारा सभा में एक बिल पेश हुआ जिसमें हर 8 वर्ष



से बड़े हिंदुस्तानी को एक परमिट लेना अनिवार्य था (जिस पर सब उंगलियों के निशान हों), उसे हर वक्त साथ रखना जरूरी था, पुलिस जब चाहे घर में घुसकर खाना तलाशी कर सकती थी, वगैरह। 11 सितम्बर 1906 को गांधी ने हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई। ईश्वर को साक्षी कर सबने प्रतिज्ञा ली कि बिल पास होकर अगर कानून का रूप ले ले तो हम उसके सामने सिर नहीं झुकायेंगे। सभा के बाद लोगों ने बाकी हिंदुस्तानियों को तैयार किया पर जोर किसी पर न डाला। समय सीमा पूरी होने तक मुश्किल से 500 लोगों ने परमिट की अर्जियां लगाईं। गांधी समेत 150 लोगों को सरकार ने जेल में डाल दिया। बाद में सरकार ने समझौता किया, कुछ रियायतें देते हुये। इसके बाद गांधी ने लोगों को परमिट लेने की सलाह दी। कुछ दिन बाद सरकार अपने वादे से पलट गई।

16 अगस्त 1908 को हिंदुस्तानियों की सभा हुई। दो हजार परमिटों की होली जलाई गई। सरकार ने गिरफ्तारियां कीं। 1913 में स्त्रियों ने सत्याग्रह की अगुवाई की। गांधीजी के फीनिक्स आश्रम की 15 बहनें कोयला खानों तक जा पहुंचीं और गिरमिटिया मजदूरों को तैयार किया। उन्होंने काम छोड़े। गांधी के नेतृत्व में हजारों मजदूरों ने लम्बा मार्च शुरू किया। उन सबको गिरफ्तार किया गया। दो लोग आगे चलकर मर गये। पर डिगे नहीं। जून 1914 में सरकार को रंगभेदी कानून बदलने पड़े।

### 2. आजादी के लिये सत्याग्रह

1915 में गांधी ने वीरमगाम की जकात की लड़ाई को हाथ में लिया। सत्याग्रह शुरू होने की संभावना को देखकर सरकार को वह जकात बंद करनी पड़ी। 1917 में अनिवार्य नील की खेती के तीन कठिया कानून के खिलाफ चम्पारण सत्याग्रह हुआ, स्थानीय लोगों के बल पर। छह मास में वह सफल हुआ।

1919 में सरकार ने रौलट बिल दाखिल किये। बिलों का मकसद बोलने और विरोध करने की आजादी को खत्म करना था। गांधी ने बिलों के प्रतिकार के लिये सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़ा करने का निश्चय किया। सत्याग्रह प्रतिज्ञा तैयार की गई और अभियान चलाया गया कि लोग यह प्रतिज्ञा लें।

### सत्याग्रह प्रतिज्ञा

(1) 'दस्तखतकर्ता मानते हैं कि रौलट बिल आजादी और न्याय के सिद्धान्त को कुंठित करने वाले तथा व्यक्ति के बुनियादी हकों को खत्म करने वाले हैं।'

(2) 'दस्तखतकर्त्ता वचन देता है कि वह सभ्य तरीके से कुछ कानूनों को मानने से इंकार करेगा।' कार्यकर्त्ता उसे सभ्य का अर्थ समझायेगा। मसलन नैतिक कानून तोड़ना सविनय अवज्ञा नहीं है, न जिन अधिकारियों से वास्ता पड़े उनसे नम्र न होना सविनय अवज्ञा है। दूसरी ओर वह साहित्य जिस पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है लेकिन सत्याग्रही समझता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसको बांटना सविनय अवज्ञा है। कार्यकर्त्ता हर दस्तखत करने वाले को बताये कि वह हर तरह की यातना और बलिदान को तैयार रहे। अगर अकेले भी रह जायें तो अपने बूते पर अभियान चलायें।

(3) 'संघर्ष के दौरान सत्याग्रही निडरता से सत्य और अहिंसा पर टिकेगा। कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचायेगा न किसी चीज का गलत प्रतिनिधित्व करेगा।' कार्यकर्त्ता झूठी उम्मीदें न जगायें, न अनुचित आलोचना करें। काम के दौरान यदि पुलिस व अन्य लोग हस्तक्षेप करें तो नम्रतापूर्वक उन्हें अपने काम के बावत बतायें।

**रौलट एक्ट सत्याग्रह** में लाखों प्रदर्शनकारी सामने आये, दसियों हजार जेल गये, सैंकड़ों सरकार की गोलियों का निशाना बने। जलियाँवाला बाग में निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने सेना से गोली चलवा दी जिसमें एक हजार लोग मारे गये। पंजाब में लोगों को पेट के बल रेंगने को मजबूर किया गया। भीषण दमन के बावजूद लोगों का उत्साह बढ़ता गया। गांधी ने खिलाफत व असहयोग आंदोलन खड़े किये। आज़ादी की लड़ाई गांव गांव तक पहुंच गई। कांग्रेस इस आंदोलन का वाहन थी। आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का अभिन्न हिस्सा थे रचनात्मक कार्यक्रम – खादी, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू–मुस्लिम एकता, सफाई, बेगार प्रथा का प्रतिकार आदि। इनसे स्वराज्य के सही मायने सामने आये तथा कार्यकर्त्ताओं में अवाम से एकरूपता और अहिंसा के प्रति निष्ठा पैदा हुई।

गांधी ने कहा, 'लोग एक बार सीख लें कि जो कानून हमें अन्यायी मालूम हो उसे मानना नामर्दगी है, तो हमें किसी का भी जुल्म बांध नहीं सकता। यही स्वराज्य की कुंजी है। जिस आदमी में सच्ची इंसानियत है, जो खुदा से डरता है, वह और किसी से नहीं डरेगा। अभय (निडरता) संपूर्ण और सब बातों के लिये होना चाहिये। ज़मीन जायदाद का, झूठी इज्जत का, सगे संबंधियों का, राज दरबार का, शरीर को पहुंचने वाली चोटों का और मरण का अभय हो तभी सत्याग्रह का पालन हो सकता है। सत्याग्रही तो कहेगा कि जो कानून उसे पसंद नहीं है उन्हें वह स्वीकार नहीं करेगा, फिर चाहे उसे तोप के मुंह पर बांधकर उसकी धज्जियाँ क्यों न उड़ा दी जायें।'



### वाइकोम सत्याग्रह

अस्पृश्यता के खिलाफ बड़ा सत्याग्रह वाइकोम (त्रावणकोर) में 1924–25 में हुआ जिसका मकसद था दलितों को एक मंदिर के आसपास की सड़कों पर चलने का हक दिलाना। सत्याग्रह कई महीनों तक चला। सत्याग्रहियों को भारी यातनायें दी गईं। उनकी आंखों में चूना फेंका गया। गाँधी जी ने कहा कि इस चुनौती को स्वीकार किया जाये। सत्याग्रही अपने दिमाग को ठंडा रखें। हर उत्तेजना में वे शांत रहे और तीव्रतम आग में हौंसला रखें। दलितो की आजादी के लिये कुछ सौ लोगों की कुर्बानी बड़ी कीमत नहीं है। त्रावणकोर राज्य को सत्याग्रहियों की सुरक्षा का फर्ज याद दिलाते हुये उन्होंने कहा कि ये हमले राज्य पर कलंक हैं। अंततः सत्याग्रह कामयाब हुआ।

### नमक सत्याग्रह

31 दिसम्बर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। गांधीजी ने अंग्रेजी सत्ता के प्रतिकार के लिये नमक कानून को चुना। उसका वास्ता गरीब से गरीब से था जो रूखी रोटी नमक के साथ खाते थे। समुद्री पानी की इस कुदरती देन पर बेजा टैक्स इंसान के प्रति अन्याय था।

सत्याग्रह शुरू करने से पहले 2 मार्च 1930 को गांधी ने वाइसराय को पत्र लिखा। 12 मार्च को डांडी मार्च शुरू हुआ। 78 सत्याग्रहियों के साथ वह साबरमती आश्रम से रवाना हुये। 6 अप्रैल को 8:30 पर गांधी व उनके साथियों ने समुद्र के किनारे गड्ढो में जमा नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। उसी दिन सारे देश में 50 लाख लोगों ने 5000 सभाओं में नमक कानून तोड़ा। सारे ग्रामीण भारत में सैलाब आ गया। एक साथ भारत के पश्चिम, उत्तर, मध्य, पूर्व और दक्षिण भागों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ने, सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खाँ के नेतृत्व में, सत्याग्रह का सर्वोच्च नमूना पेश किया। अहिंसक भीड़ मशीन गनों के सामने डट गई। बगैर उत्तेजना के उन पर गोली चलाई गई जिसमें 250 लोग शहीद हुये। देशव्यापी सत्याग्रह में 92 हजार लोग जेल गये जिनमें 17 हजार महिलायें थीं। 14 फरवरी 1931 को गांधी–इरविन समझौता हुआ।

### भारत छोड़ो आंदोलन

8 अगस्त 1942 को गांधीजी ने कांग्रेस महासमिति में भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा। उसके पास होने के चंद घंटों में, 9 अगस्त 1942 को सूरज निकलने से पहले, कांग्रेस

महासमिति के सारे सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में सभी स्तरों के नेताओं की व्यापक गिरफ्तारियाँ हुईं। इससे सारे देश में बिजली दौड़ गई। कोने कोने में विशाल प्रदर्शन हुये। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, हिंदू, मुसलमान, दलित, सवर्ण, आदिवासी एक सी शिद्दत से सड़कों पर उतर आये।

सरकार ने जबर्दस्त बल प्रयोग किया पर कई हफ्तों तक हालात बेकाबू रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60 हजार लोग गिरफ्तार हुये, 530 मौकों पर पुलिस/सेना ने गोली चलाई जिसमें 960 लोग मारे गये व 1630 ज़ख्मी हुये। असली तादाद इससे ज्यादा थी। जेल में ही कस्तूरबा गांधी और गांधीजी के सचिव महादेव देसाई का देहान्त हुआ। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। बीस लाख से ज्यादा लोग मारे गये पर सरकार लापरवाह थी। गांधी ने जेल में 21 दिन का उपवास किया। उपवास ने इंग्लैण्ड समेत सारी दुनिया के प्रजातांत्रिक व शांतिप्रिय लोगों की आत्मा को हिलाया। सबने गांधी की रिहाई और देश की आज़ादी की मांग की। 1947 में देश आज़ाद हुआ, दो देशों में बंटकर।

## 3. अमेरिका में नागरिक अधिकार सत्याग्रह

अमेरिका में पहले मंगोलों जैसी शक्ल के मूल निवासी रहते थे जिन्हें बाद में रेड इंडियन (लाल भारतीय) कहा जाने लगा। सन् 1492 में वहां, स्पेन के राजा के खर्चे पर, कोलम्बस पहुंचे। उसके बाद वहां स्पेन, पुर्तगाल, इंलैण्ड व फ्रांस से जाकर लोग बसे। इन लोगों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। ''रेड इंडियन्स'' को वहां से खत्म कर दिया अथवा भगा दिया।

खानों, जंगलों व खेतों में कठोर काम करने के लिये अफ्रीकी देशों से नीग्रो लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया। तब अमेरिका में ब्रिटेन की सत्ता चलती थी। सन् 1776 में अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुआ। वहां लोकतंत्र कायम हुआ। पर नीग्रो लोगों की गुलामी बरकरार रही।

1861 में अब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने गुलामी प्रथा रोकने को कदम उठाये तो कई राज्यों ने विद्रोह कर दिया कि वे अमेरिका से अलग होंगे। इस पर वहां गृहयुद्ध छिड़ गया। बड़ी कठिनाई से लिंकन ने वह खत्म किया। 1865 में लिंकन को गोली मार दी गई।

गुलामी प्रथा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रंगभेद चलता रहा। गोरों के स्कूलों में अश्वेत (नीग्रो) बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। बसों में एक साथ बैठकर सफर नहीं कर सकते थे। वोट नहीं दे सकते थे। और यह सिलसिला बीसवीं सदी तक चलता रहा।



### मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार (1955)

1 दिसम्बर 1955 को अश्वेत महिला रोजा पर्कस ने सिटी बस में अपनी सीट किसी गोरे आदमी के लिये छोड़ने से इंकार किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में बस बहिष्कार अभियान 385 दिन चला। किंग के घर पर हमले हुये। उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में ब्राउडर बनाम गेल मामले में जिला न्यायालय का फैसला आया। उसने मॉन्टगोमरी की सभी सरकारी बसों में नस्ली भेदभाव बंद कर दिया।

### वाशिंगटन मार्च (1963)

6 अगस्त 1963 को रोजगार और आज़ादी की खातिर वाशिंगटन मार्च का आयोजन हुआ। तनाव के बावजूद सभी समुदायों के 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। लिंकन मेमोरियल से लेकर संसद तक जनसमूह था। प्रमुख मांगें थीं – सरकारी स्कूलों में नस्लीय भेदभाव खत्म हो, न्यायसंगत नागरिक अधिकार कानून बने, जिसमें रोजगारों में भेदभाव व पुलिस ज्यादतियों पर रोक शामिल हो, न्यूनतम मजदूरी 2 डालर प्रति दिन हो, वाशिंगटन डी.सी. शहर को स्वशासन का दर्जा मिले।

इसमें किंग की 17 मिनट की 'आई हैव ए ड्रीम' (मेरा एक सपना है) ऐतिहासिक तकरीर हुई। उन्होंने कहा : दोस्तों, आज और कल की तमाम कठिनाइयों के बावजूद मेरा एक सपना है जिसकी जड़े अमेरिकी सपने में गहराई से जमीं हैं। मेरा सपना है कि एक दिन यह मुल्क उठ खड़ा होगा और अपनी इस अंतर सच्चाई को जियेगा कि सब इंसान बराबर बनाये गये हैं। मेरा सपना है कि एक दिन जार्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व गुलामों के बच्चे और गुलामों के मालिकों के बच्चे भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठेंगे। मेरा सपना है कि एक दिन मिसीसिपी राज्य भी जो अन्याय और उत्पीड़न की आग में झुलस रहा है, आज़ादी और इंसाफ का मंजर होगा। मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे चारों बच्चे अपनी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि अपने चरित्र की गहराई से आंके जायेंगे। मेरा सपना है कि एक दिन अलाबामा में, जहां तीव्र नस्लवाद है व जहां के गवर्नर के मुंह से अलगाव छलकता है, नन्हें काले लड़के और लड़कियाँ, नन्हें गोरे लड़के और लड़कियों के साथ भाई बहन की तरह मिलकर चलेंगे। यह स्पीच अमेरिकी इतिहास की महानतम स्पीचों में एक मानी जाती है। इस तकरीर और मार्च ने सुधारों का एजेंडा तय किया जिससे सिविल राईट्स एक्ट 1964 बना। अंततः अश्वेतों को समान वोटिंग अधिकार हासिल हुये।

अध्याय चार

# वर्तमान संघर्ष

## 1. राजनैतिक परिवर्तन

आमतौर पर चुनाव को, अगर सरकार गल्ती करे तो, सत्ता परिवर्तन का रास्ता माना जाता है। पर आज वह कठिन है। सरकार व आर्थिक शक्तियों ने एक रास्ता ढूंढ़ लिया है – जज्बाती मुद्दे उठाकर जुनून उभाड़ना और असली मुद्दोंको दबाना। राजनैतिक विरोधियों को डराया जाता है– आक्रामक कैडर, मीडिया के दुष्प्रचार तथा सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग के जरिये।

दूसरा रास्ता है सरकार के गलत कदमों व गलत कानूनों का सविनय प्रतिकार, भले ही सरकार कैसी भी हो। तमाम कानूनों में से एक कानून ही पकड़ें, जैसे गांधी ने नमक कानून को चुना (उस समय जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से देश का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य रखा था), और वह सरकार को हिला सकता है। अगर सरकार अनुचित दिखाई जा सके तो कमजोर हो जाती है। उचित (reasonable) दिखने का पर्दा सरकार की जरूरत है। वर्तमान सरकार ने तमाम अनुचित (unreasonable) चीजें कीं पर उनका बड़ा विरोध नहीं हुआ सो सरकार ने फिक्र नहीं की। नागरिकता संशोधन एक्ट (सी ए ए) उसके लिये भारी पड़ गया क्योंकि औरतों और युवकों ने दृढ़ता से उसका विरोध किया और राजनैतिक दलों ने भी जनता में उसे उठाया।

ऐसे अहिंसक प्रतिकार राजनीति को लोकतांत्रिक व उदारता के रास्ते पर लायेंगे। सी ए ए विरोधी आंदोलन साम्प्रदायिकता के खिलाफ पहला सत्याग्रह है। इसमें हर विचारधारा के वामपंथियों तथा क्रांतिकारियों ने सत्याग्रह के नियमों का पालन किया। बहुत सी गैर–मुस्लिम लड़कियाँ मुस्लिम बहनों के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने कालेज परिसरों में विद्यार्थियों को तथा बस्तियों में आमजन को जाग्रत किया। इन कार्यकर्त्ताओं का नेटवर्क बनाना सही होगा जिनकी तादाद अकेली दिल्ली में 20 हजार से ऊपर होगी।

उम्मीद है कोरोना लॉकडाउन उठने के बाद आंदोलन फिर खड़ा होगा। देश के आधे राज्यों ने एन पी आर का विरोध जताया है। वे उस पर टिके रहे तो सरकार उसे चालू नहीं कर पायेगी। एन आर सी पर सरकार ने परस्पर विरोधी संकेत दिये हैं। उसकी रणनीति है कि मुस्लिमों के सरोकारों से हिंदू दूर रहें और सत्याग्रह को मुस्लिमों के द्वारा खड़ी की गई मुसीबत बता सकें। सत्याग्रही अपनी पारदर्शिता और अहिंसा



के बल पर उसका प्रतिकार कर सकते हैं। लेकिन प्रयास जारी रहे कि अब तक अछूते रहे कालेजों के छात्रों व बस्तियों के अवाम का समर्थन हासिल हो।

दूसरा सरोकार का मुद्दा जम्मू–कश्मीर राज्य का दर्जा घटाकर दो केन्द्र शासित राज्यों (UTs) में बदलने का है। कश्मीरी अवाम ने सेना की भारी तैनाती के बावजूद उन पर अपना अहिंसक प्रतिरोध दर्ज किया। विद्यार्थियों ने स्कूलों कालेजों का बहिष्कार किया, घर पर पढ़कर ही इम्तेहान दिये। दुकानदारों ने 11 बजे दिन से शाम 5 बजे तक दुकानें बंद रखीं।

लोकतांत्रिक हकों की बहाली सत्याग्रह का सशक्त मुद्दा है। उसे गांधी के चम्पारण सत्याग्रह की तर्ज पर स्थानीय लोगों के बल पर आगे बढ़ना है।

राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक दलों का सरोकार हो– तटस्थ न्यायालय, संस्थाओं की मजबूती, राज्यों की स्वायत्तता, प्रैस की आजादी, पंचायतों को अधिकार आदि।

## 2. छात्र जागृति

कई विश्व विद्यालयों व कालेजों में छात्र साम्प्रदायिक रेजिमेंटेशन तथा शिक्षा के निजीकरण के सवाल पर नाराज हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने तीन महीनों का रात दिन का धरना दिया है। जे एन यू में होस्टल फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ आंदोलन चला है। धर्म निरपेक्षता अब कोरा आदर्श नहीं है बल्कि अकादमिक आजादी और लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की अहम जरूरत है। उसी तरह शिक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी समाजवादी विचार नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे पूंजीवादी देशों में 12वीं तक की पढ़ाई सभी बच्चों को मुफ्त है तथा विश्व विद्यालयों में फीस राष्ट्रीय औसत आय के एक तिहाई से कम है। जर्मनी में तो वह मुफ्त है। इन देशों में 50 प्रतिशत बच्चे कॉलेज जाते हैं।

प्रगतिशील छात्र संगठनों में बुनियादी मसलों की समझ है और वे उन्हें असरदार तरीके से रख रहे हैं। वे राजनैतिक दलों का मुखौटा नहीं हैं बल्कि अपनी ताकत पर खड़े हैं। अधिकांशतः वे अहिंसा पर टिके हैं। अधिक दृढ़ता से वे अहिंसा का पालन कर सकते हैं। वे अन्य कालेजों में अपना आधार फैलायें तथा चर्चा का दायरा बढ़ायें। सत्याग्रह के मुद्दे (अकादमिक आजादी और शिक्षा) उनके पास हैं। कोशिश करें कि, विशेष परिस्थिति के अलावा, कक्षायें बाधित न हों। साम्प्रदायिकता विरोधी आंदोलन तथा किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर कर छात्र और शिक्षक अपने संघर्ष को मजबूत ही करेंगे।

## 3. किसान जागृति

किसानों की अहम समस्या है मण्डी में आवाज बनाना। लेकिन आज जो किसान संगठन हैं उनकी जड़ें कमजोर हैं। वे मुद्दे तो सही उठाते हैं पर राजनैतिक दृष्टि तथा समग्र एजेण्डा की कमी है। वैसे वे अ—राजनैतिक हैं पर जज्बाती मुद्दों पर बहक जाते हैं। किसानों के खातों में चुनाव के पहले 2000 रु. आ जाने से चुनाव का नतीजा ही बदल गया।

सत्तारूढ़ दल व कार्पोरेट वर्ग (अमेरिका का नमूना दिखाकर जहां खेती में सिर्फ 3 प्रतिशत श्रम बल लगा है) किसानों को फालतू वजन मानते हैं। किसानों को इन्सान के रूप में अपने वजूद व सम्मान के लिये लड़ना है। जमीन, जंगल और खानें — ये जो संसाधन हैं किसानों मजदूरों के हैं। उनका बुनियादी हक है कि ये उन्हें पूरे वक्त का काम देने में लगें। उन्हें बड़ी मशीनों और रोबोट के मुकाबले में खड़ा न किया जाये।

किसान फैक्टरियों के लिये कच्चा माल और देश के लिये भोजन पैदा करने वाने इन्सान हैं। उनका देश के खजाने में सम्मानपूर्ण स्थान हो। गांव की अर्थव्यवस्था ऐसी हो कि हर आदमी व औरत को पूरे वक्त का काम मिले और उनकी आय राष्ट्रीय औसत के आधे से कम न हो। छोटी मशीनें आ चुकी हैं। जिस तरह पावर लूम ने कपड़े की मिलों की जगह ले ली है (75 प्रतिशज कपड़ा पावर लूम में तथा 6 प्रतिशत मिलों में बनता है), बहुत सी छोटी मशीनें बड़ी मशीनों की जगह ले सकती हैं और बहुतों को रोजगार दे सकती हैं। किसान सरकार के रहम पर नहीं अपनी मेहनत व उपज के मूल्य के सही भुगतान पर जियें। समर्थन मूल्य (एम एस पी) से संबंधित स्वामिनाथन कमीशन की सिफारिशें अच्छा शुरूआती कदम हैं। उसके बाद मनरेगा व ग्राम स्वावलंबन को लिया जाये।

### 4. ग्राम सशक्तिकरण

संगठित नफरत का स्रोत और कंट्रोल ऊपर है, मगर उसने गांवों में आधार बना लिये हैं — किसानों, आदिवासियों, दलितों व सवर्णों में। संगठित औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन—भारतीय मजदूर संघ इनकी है। हमें हर गांव में सत्याग्रही जत्थे (समूह) बनाने हैं। हरेक में 5 या अधिक सदस्य हों। उनके सामने ये रचनात्मक काम होंगे।

(1) गांवों में कथा, भागवत, रामायण, मीलाद व उर्स की परम्परा है जहां लोगों को जिंदगी के तनावों और झंझटों में पल भर को सुकून मिलता है। आज ये जलसे एक धर्म पर दूसरे की श्रेष्ठता जताने के मंच बनते जा रहे हैं। सत्याग्रही कोशिश करें



कि वह परम्परा फिर से समृद्ध हो तथा सब धर्मों व जातियों के लोग हर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम में शरीक हों।

(2) गोरक्षा के बहाने ऐसा जुनून पैदा किया गया है कि गरीबों को पीट पीट कर मार डालने (लिंचिंग) को देशभक्ति बताया जाता है। इसने आवारा बैलों का मसला भी खड़ा किया है जो झुण्ड बनाकर सड़कों व खेतों में घुसते हैं। सत्याग्रही सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्यों व बुजुर्गों को लेकर जिला प्रशासन के सामने इस मसले को रखें। लिंचिंग के खिलाफ लोगों की संवेदना को जगायें

(3) मनरेगा पूरी दक्षता से काम करे। उससे गांव में पूंजी निर्माण हो। मजदूरी स्थानीय मजदूरी से अधिक हो।

(4) पंचायतों को अधिकार मिलें। **सत्याग्रह सभा का कोर सदस्य सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेगा।**

(5) गांव में हाई स्कूल खुलवाने का प्रयास करें। वह मुमकिन न हो तो निकट के हाई स्कूल तक जाने के लिये स्कूल बस की मांग करें।

(6) दसवीं तथा उससे ऊपर पढ़े लिखे लड़के लड़कियों के लिये कोर्स से संबंधित विषयों पर, तकनीकी प्रशिक्षण पर तथा देश दुनिया की राजनीति पर वर्कशॉप का आयोजन करें। इनके जरिये शिक्षित लोगों का समूह खड़ा हो।

(7) बुजुर्गों को लेकर भजन मंडली बने। हफ्ते में दो बार उसके प्रोग्राम हों जिनमें सार्थक मुद्दों पर चर्चा भी हो। सेहत पर भी इसमें चर्चा हो।

# सात अहम सच्चाइयों पर अमल करें

1) मजदूर, कारीगर और किसान, चाहे किसी धर्म के हों, देश का खाते नहीं, देश को खिलाते हैं। किसी मेहनतकश के प्रति यह दुर्भावना न रखें कि वह खाता देश का है और बजाता दूसरे देश का है। यह सोच देशद्रोह है। इससे आजाद हों।

2) कंकड़ का जवाब पत्थर या तोप से देना विकृत मानसिकता है। इस पर काबू पायें। इससे शोषण बढ़ता है।

3) किसी आदमी या समुदाय के प्रति घृणा आपको एकजुट कर सकती है। उससे आप कमज़ोरों को कुचल सकते हैं। पर आपकी आत्मा मिट्टी में मिलेगी। इस पाप से बचें।

4) देश की मिलिट्री की तोपें, पूंजीपतियों की दौलत और बुद्धिजीवियों की विद्वत्ता आपकी ताक़त नहीं है। आपकी ताकत है आपकी आत्मा। और उसकी खुराक है सच्चाई, दर्दमंदी और श्रम। उसे मजबूत करें।

5) सारी धरती के अवाम एक हैं – ईमान की कमाई पर बसर करने वाले, सरल और सच्चे। उनसे अपनापन महसूस करें।

6) सब मनुष्य बराबर पैदा हुये हैं – यह बात हमारे व्यवहार में प्रकट हो।

7) जंग का उन्माद साम्राज्यवादी सोच है, इससे बचें।



# अवाम

मेरी आँखों में अंजन अंजवा दो, मेरे आगे से पर्दे हटवा दो
मुझे अपनों से मिलने जाना है, मेरे पैरों से बंधन खुलवा दो।

गरीबी में भी मगन हैं ये खुदा के बंदे, राम के भक्त, फरिश्तों के ये प्यारे बंदे
इनकी आँखों से सचाई की चमक आती है इनके होठों से मुहब्बत की सदा आती है
सरहदें लांघ कर ये हर वतन में रहते हैं, खाक में मिल के ये सोना उगाया करते हैं
खुद तो गुमनाम है फुटपाथों पे इनकी दुनिया, इनसे तामीर है तारों की ये रंगी दुनिया
इनकी मेहनत की शिफत से ये कारखाने हैं, लहू से इनके लबालब सभी खजाने हैं
ये गंगा ज़मज़म के वारिस, इन्हें थोड़ा सा पानी पिलवा दो, मेरी आँखों में ........
इन्हीं के खून के प्यासे हैं ये जुल्मी सारे, जात, नस्लों व मजहब के जुनूनी सारे
इन्हीं पे एटमी तोपों ने कहर ढाया है, देश दर देश को पैरों तले दबाया है
मगर सच देखने की इनमें बड़ी चाहत है, जुल्म से लड़ने की रूहों में बड़ी ताकत है
इन्हीं से ईशा मुहम्मद उभर के आये हैं, बुद्ध, सुकरात व गांधी उभर के आये हैं
यही कबीर, रविदास और मीरा हैं, ख्वाजा, नानक यही तुलसी फरीद सूरा हैं
जिसका सूरज न डूबता था उस हुकूमत से, निहत्थे भिड़ गये उसको हटाया भारत से,
इन्हीं से दुनिया में आजादी की हवा आई, ज़मीं पे ताज़गी की इक नई सुबह आई
इन परवानों के कदमों में, दो फूल वफ़ा के चढ़वा दो, मेरी आँखों में .....
मगर वो जुल्मतों का दौर फिर से आया है, सितमगरों ने नए ढंग से सितम ढाया है
तेलवालों से ये कहते हैं आज़ादी ले लो, अपने घर लूट लो और हमसे नसीहत ले लो
फिर तो ये रौंदते हैं हर चराग रौशन को, ज़र्रे ज़रे को, हुकूमत को, बाग रौशन को
तेल के साथ ये सत्ता भी हड़प लेते हैं, खेत खलिहान औ बाजार हड़प लेते हैं।
हौंसला करके ये हालात बदलना होगा, सच पे टिकना व असहयोग भी करना होगा
फिर से आज़ादी का पैग़ाम फूंकना होगा, गरीब देशों को मिलजुल के जूझना होगा

ये वक्त सभी पर भारी है, वो सारे तफरके मिटवा दो
मेरी आँखों में ..................................................

# नज़र

नजरों पे बदगुमानी का पर्दा न कीजिये
अपने भी गैर दिखने लगे ऐसा न कीजिये।
आदमी की शक्ल भी जिनमें न दिख सके
ऐसे उजालों का कभी पीछा न कीजिये।
जिनके लहू से सब्ज है आदम की ये जमीं
उनके हकों पे आंच गवारा न कीजिये।
हक की जुबान बंद है और मुल्क में जुनून
ऐसे सितम पे जश्न मनाया न कीजिये।
लग जाये आपको न किसी की नज़र कहीं
इसके लिये जहान को अंधा न कीजिये।
सच से बड़ी ज़मीन पे ताकत कोई नहीं
हम इंकलाब लायेंगे हिम्मत तो कीजिये।

# इंसानी बराबरी

कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं,
सारे इन्साँ बराबर बनाये गये
सबके भीतर वही रूह डाली गई,
सबमें अहसासे दिल भी जगाये गये।
काम छोटा बड़ा कोई हरगिज नहीं,
सिर्फ देखो कि सबकी भलाई का हो
आदमी आदमी की मदद कर सके,
इसलिये हाथ दो दो बनाये गये।
डर के औरों से झुकना बुरी बात है,
दूसरों को झुकाना बुरी बात है
आदमी सिर उठाकर के खुद चल सके,
इसलिये रीढ़ सबके बनाये गये।
सच से बढ़ के करामात कुछ भी नहीं,
दर्दमंदी से बढ़कर धरम कुछ नहीं
जिंदगी में हमेशा उजाला रहे,
इसलिये प्यार औ उल्फत बनाये गये।